प्रेस–विज्ञप्ति
सी0एस0सी0–एस0पी0वी0 त्रिवेणी

भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रोघौगिकी विभाग ने जन सुविधा केन्द्र की योजना को जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायतों/ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों के वार्डो तक पहुँचाने हेतु सी0एस0सी0–एस0पी0वी0त्रिवेणी केन्द्रो को खोलने हेतु यह योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार सीधे सभी ग्राम पंचायतों/ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों के वार्डो तक शासकीय एवं अन्य सुविधाओं को एक ही केन्द्र पर उपलब्ध कराना चाहती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत एव शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक त्रिवेणी सुविधा केन्द्र खोला जायेगा। यह केन्द्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत या वार्ड के बेरोजगार बिना किसी जमानत राशि दिये यह केन्द्र खोले जा सकते है। सी0एस0सी0–एस0पी0वी0 त्रिवेणी जो कि इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहा है यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एन0आई0सी0 की जिला इकाईयों से सहयोग लेकर इन केन्द्रों के खोलने में सहयोग करेगा।

जनपद में सी0एस0सी0–एस0पी0वी0 त्रिवेणी केन्द्र खोलने हेतु राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। योजना के बारे में अधिक जानकारी www.csc.gov.in से प्राप्त की जा सकती है एवं आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप जनपद की बेबसाइट www.etah.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवदेन निर्धारित प्रारूप पर सभी संलग्नकों के साथ एन0आई0सी0 कलक्ट्रेट में दिनांक 07–04–2015 तक जमा किया जायेगा।

सी0एस0सी0–एस0पी0वी0 त्रिवेणी केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित प्रात्रताः–

1. आवेदक सम्बन्धित ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक कम से कम 10वीं पास एवं उसे कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।
3. महिला आवेदक को प्रथम वरीयता दी जायेगी।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को वरीयता दी जायेगी।
5. अगर पूर्व में उस ग्राम पंचायत/नगर के वार्ड में कोई सी0एस0सी0 केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र कार्य कर रहा है तो दूसरा केन्द्र खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. आवेदक के पास पैन, आधार/ईपिक कोर्ड होना चाहिए।

सी0एस0सी0–एस0पी0वी0 त्रिवेणी केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक उपकरण :–

केन्द्र खोलने हेतु कम से कम एक लैपटाप/ डेस्टाप, प्रिन्टर, स्कैनर,डिजिटल कैमरा एवं यू0पी0एस0/इन्वर्टर होना आवश्यक है यह सभी उपकरण आवेदक को स्वंय व्यवस्था करनी है। आधार कार्ड बनाने के लिए सम्बन्धित उपकरणों की स्वंय व्यवस्था करनी होगी।

सी0एस0सी0–एस0पी0वी0त्रिवेणी केन्द्रो के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधायें :–

इन केन्द्रों के द्वारा मुख्यतः पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट के लिए आवेदन, रेलवे टिकट बुक, सरकारी बैक में पैसे जमा/निकासी, विभिन्न ऑन लाइन फार्म, परीक्षा परिणाम, सभी बीमा कम्पनियों की किश्त, खेती की जानकारी, मोबाइल/डिश रिचार्ज, ऑन लाइन अध्ययन आदि सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी चरण में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाए भी इन केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(निधि केसरवानी)
जिलाधिकारी /अध्यक्ष
जिला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी
एटा।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी एटा।

पत्रांक 101 /ई–गवर्नेन्स/c.s.c.-s.p.v (Triveni)/2015 दिनांक 25 मार्च, 2015

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य विकास अधिकारी एटा।
2– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/अपर जिलाधिकारी (वि/रा.) एटा।
3– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद एटा/ समस्त खण्ड विकास अधिकारी एटा।
4– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी एटा को इस आशय के साथ कि वह उक्त आवेदन पत्र को जनपद की बेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5– जिला सूचना अधिकारी एटा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति का दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी /अध्यक्ष
जिला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी
एटा।